

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 05/09/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 04.09.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. स्वाट टीम एवं थाना गहमर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शातिर गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर 01 अदद जिंदा कारतूस.315 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 03.09.2025 को अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत स्वाट प्रभारी दौरान ए रात्रि गश्त नवली के पास मौजूद थे एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन व मोटरसाइकिल रजागंज की तरफ से गहमर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए करीब पहुंच कर जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा स्वाट टीम पर तमंचे से फायर करते हुए बारा की तरफ भागने लगा स्वाट प्रभारी द्वारा जरिये आर टी सेट कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए संदिग्ध गाड़ियों का पीछा किया गया मगरखाई मोड थाना गहमर के पास खुद को घिरा देख मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से पुनः निशाना लगाकर फायर करने लगा, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में संतुलित फायरिंग की गयी तो उसके दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया । जिसे तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जिला सीएचसी भदौरा गाजीपुर उपचार हेतु भेजा गया व पिकअप वाहन अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा ।पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पता -

पीर मोहम्मद उर्फ डेंजर पुत्र इलियास ग्राम सहेडी थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 44/25धारा 325 BNS 3/5A/5B/8/गोवध निवारण अधिनियम थाना करंडा जनपद गाजीपुर
- 2.मु0अ0सं0 189/25धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गहमर जनपद गाजीपुर

बरामदगी

- 1.एक अदद अवैध तमंचा.315 बोर

2. एक अदद जिंदा कारतूस.315 बोर
3. दो अदद खोखा कारतूस . 315 बोर
4. एक अदद मोटरसाइकिल

02. थाना रामपुर माझा पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को उ0नि0 राकेश यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर फौ0मु0-1396/17 राजेश यादव बनाम राजकुमार यादव धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना करण्डा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0-8 गाजीपुर से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी जयप्रकाश यादव पुत्र कैलाश यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा वारण्टी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा वारण्टी का नाम व पता-

01. जयप्रकाश यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी ग्राम मटखन्ना पो0 नारीपचदेवरा थाना रामपुर माँझा जनपद गाजीपुर

03. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा 05 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री राम सजन नागर मय हमराह द्वारा तलाश वारण्टी में मामूर होकर तलाश वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु भिन्न-भिन्न जगहों पर दबिश दी गयी तो वारण्टीगण 1. अमीन मल्लाह पुत्र रामलखन उम्र 59 वर्ष 2. जवाहिर मल्लाह पुत्र रामलखन मल्लाह उम्र करीब 58 वर्ष 3. नारद मल्लाह पुत्र रामलखन मल्लाह उम्र करीब 50 वर्ष 4. धरीक्षन मल्लाह पुत्र हनुमान मल्लाह समस्त निवासीगण शाहनिन्दा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर 5. कृष्णानन्द पुत्र सुरेश खरवार उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम अहिरौली थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा वारण्टीगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. अमीन मल्लाह पुत्र रामलखन उम्र 59 वर्ष
 2. जवाहिर मल्लाह पुत्र रामलखन मल्लाह उम्र करीब 58 वर्ष
 3. नारद मल्लाह पुत्र रामलखन मल्लाह उम्र करीब 50 वर्ष
 4. धरीक्षन मल्लाह पुत्र हनुमान मल्लाह उम्र करीब 52 वर्ष
- समस्त निवासीगण शाहनिन्दा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
5. कृष्णानन्द पुत्र सुरेश खरवार उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम अहिरौली थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

4. थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को थाना प्रभारी कमलेश कुमार मय हमराह द्वारा मु0नं0 04/25 धारा 383 भा0न्याया0 सु0 सं0 ता0 पेशी 10.9.25 से सम्बन्धित अभियुक्त विजय राजभर पुत्र स्व0 जगबन्धन निवासी हनौता थाना दुल्लहपुर गाजीपुर को ग्राम हनौता से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा वारण्टी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा वारण्टी का नाम व पता-

1-विजय राजभर पुत्र स्व0जगबंधन निवासी हनौता थाना दुल्लहपुर गाजीपुर

5. थाना जंगीपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को उ0नि0 गजेन्द्र राय मय हमराह द्वारा मुकदमा वाद संख्या 17/11 धारा 69 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर से सम्बंधित एनबीडब्लू वारण्टी सत्येन्द्र यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी बहलोलपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर को ग्राम बहलोलपुर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01. सत्येन्द्र यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी बहलोलपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 17/11 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जंगीपुर गाजीपुर

6. थाना सुहवल पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व रात्रिगस्त तलाश वांछित/वारण्टी हेतु क्षेत्र में मामूर होकर मा0 न्यायालय गाजीपुर द्वारा जारी NBW वारण्ट मु0नं0 2021/20 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बन्धित रामानंद यादव पुत्र चन्द्रदेव यादव निवासी ग्रा0 पिपरा थाना सुहवल जनपद गाजीपुर, NBW वारण्ट मु0नं0 60/19 धारा 366,504,506 भादवि से सम्बन्धित जमीउल रहमान उर्फ बुढा पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्रा0 सोनवल थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उपरोक्त को मा0 न्यायालय गाजीपुर द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट की प्रति दिखाकर कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टीगण का नाम पता-

1. रामानंद यादव पुत्र चन्द्रदेव यादव निवासी ग्रा0 पिपरा थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 36 वर्ष
2. जमीउल रहमान उर्फ बुढा पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्रा0 सोनवल थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष।

7. थाना बहरियाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को उ0नि0 मनोज कुमार मिश्रा मय हमराहियान द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त 1. जयश्री पुत्र मालवर नि0ग्राम खरका नसीरपुर थाना बहरियाबाद गाजीपुर 2. रामअवध पुत्र रामलेचन नि0 ग्राम बरहाँ वृन्दावन थाना बहरियाबाद गाजीपुर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता -

1. जयश्री पुत्र मालवर नि0ग्राम खरका नसीरपुर थाना बहरियाबाद गाजीपुर उम्र करीब 75 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

फौ0मु0न0 545/14 धारा 147,323,427,504,506 भादवि

2. रामअवध पुत्र रामलेचन नि0ग्राम बरहाँ वृन्दावन थाना बहरियाबाद गाजीपुर उम्र करीब 60 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

मु0न0 2591/96 धारा 498(A),504,506 भादवि

8. थाना बरेसर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 130/25 धारा 303(5),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को उ0नि0 मो0 रुस्तम खाँ मय हमराहियान द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 130/25 धारा 303(5),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त शिवा बनवासी पुत्र मिथिलेश बनवासी को सुरजीपट्टी मोड़ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-

01. शिवा बनवासी पुत्र मिथिलेश बनवासी ग्राम सागापाली दयाल सिंह थाना बरेसर गाजीपुर उम्र 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 130/25 धारा 303(5),317(2) बीएनएस थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

9. थाना करण्डा पुलिस द्वारा चोरी के उपकरण के साथ 02 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को उ0नि0 सन्तोष कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम धरम्मरपुर शराब ठेका के पास से अभियुक्तगण 1.प्रदीप यादव पुत्र अशोक यादव 2.अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र अशोक यादव को चोरी की योजना बनाते समय चोरी करने के उपकरण 01 अदद प्लास, 01 अदद हेक्सा ब्लेड, 01 अदद पेचकस, 01 अदद नुकीला सरिया, एक अदद टार्च व 01 अदद देशी तमंचा 0.315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 0.315 बोर व थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-50/2025 धारा 331(4), 305(e) BNS से सम्बन्धित चोरी के माल को बेचने के पश्चात् बचे हुए 1200/ रूपया के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-167/2025 धारा- 313 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.प्रदीप यादव पुत्र अशोक यादव उम्र करीब 21 वर्ष

2.अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र अशोक यादव उम्र करीब 22 वर्ष

निवासीगण ग्राम कोटिया धरम्मरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

अभियुक्त अभिषेक यादव उर्फ गोलू का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 76/2025 धारा 109(1),351(3) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 06/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

3.मु0अ0सं0 254/2021 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

4.मु0अ0सं0 15/2022 धारा 120बी भा0द0वि0 व 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

5.मु0अ0सं0 25/2020 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

6.मु0अ0सं0 30/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

7.मु0अ0सं0 122/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना दिलदारनगर गाजीपुर

8.मु0अ0सं0 334/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

9.मु0अ0सं0 67/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

10. मु0अ0सं0-167/2025 धारा- 313 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा गाजीपुर

अभियुक्त प्रदीप यादव का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-167/2025 धारा- 313 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा गाजीपुर

2. मु0अ0सं0-050/2025 धारा- 331(4), 305(e)/317(2) BNS थाना करण्डा गाजीपुर

3. मु0अ0सं0-085/2023 धारा- 341/427/504/506 भादवि थाना करण्डा गाजीपुर

4. मु0अ0सं0-094/2023 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा गाजीपुर

5. मु0अ0सं0-030/2023 धारा- 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

6.मु0अ0सं0-122/2023 धारा- 3(1) उ0प्र0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना दिलदारनगर गाजीपुर

7.मु0अ0सं0-217/2022 धारा- 186/332/336/352/353 भादवि व 146/151/168/174 रेलवे एक्ट व 7 सीएलए एक्ट थाना जमानिया गाजीपुर

8. मु0अ0सं0-160/2025 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानियाँ गाजीपुर

9. मु0अ0सं0-091/2025 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गहमर गाजीपुर

बरामदगी-

1. चोरी करने के उपकरण 01 अदद प्लास, 01 अदद हेक्सा ब्लेड, 01 अदद पेचकस, 01 अदद नुकीला सरिया, एक अदद टार्च व 01 अदद देशी तमंचा 0.315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 0.315 बोर व थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-50/2025 धारा 331(4), 305(e) BNS से सम्बन्धित चोरी के माल को बेचने के पश्चात बचा हुआ 1200/ रुपया नगद ।

10. थाना सैदपुर पुलिस टीम द्वारा 08 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 4.09.2025 को उ0नि0 रविन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान फौ0मु0न0 137/2000 धारा 323,504 भादवि से सम्बन्धित वारण्टीगण 1.लगन पुत्र शुकालु चौहान, 2.परभु पुत्र बैजनात चौहान, 3.रामधनी पुत्र शुकालु चौहान को गिरफ्तार किया गया । तत्पश्चात् म0उ0नि0 श्वेता कुमारी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान फौ0मु0नं0 1058/98 धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त राजेश पुत्र चन्द्रदेव यादव को तथा मु0अ0सं0 35/95,फौ0अ0सं0 2677/96 धारा 216 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त तेजबहादुर सिंह पुत्र चन्द्रभुषण सिंह को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् उ0नि0 श्री बासदेव प्रसाद द्वारा फौ0मु0न0 186/99 धारा 452,427,379,504,506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी सुबेदार पुत्र सुबराम को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् उ0नि0 श्री मनोज कुमार द्वारा फौ0मु0न0 200/95 धारा 427,504,506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टीगण 1.हसीन पुत्र मुर्तजा मियां 2. हमीद पुत्र मुर्तजा मियां को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा वारण्टीगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा वारण्टी/अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.लगन पुत्र शुकालु चौहान उम्र करीब 70 वर्ष निवासी ग्राम इशोपुर (कैथवलिया) थाना सैदपुर गाजीपुर

2.परभु पुत्र बैजनात चौहान उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम इशोपुर (कैथवलिया) थाना सैदपुर गाजीपुर

3.रामधनी पुत्र शुकालु चौहान उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम इशोपुर (कैथवलिया) थाना सैदपुर गाजीपुर

4. राजेश पुत्र चन्द्रदेव यादव निवासी औडिहार (पकवा इनार)थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष

5. तेजबहादुर सिंह पुत्र चन्द्रभूषण सिंह निवासी फुलवारी कलाँ थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र करीब 70 वर्ष
6. सुबेदार पुत्र सुबराम उम्र करीब 50 वर्ष निवासी जहानपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
7. हसीन पुत्र मुर्तजा मियां निवासी रौजाद्वार कस्बा सैदपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
8. हमीद पुत्र मुर्तजा मियां निवासी रौजाद्वार कस्बा सैदपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

11. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 अदद सैमसंग इन्ट्रैक्टिव पैकेट पैनल, 02 अदद UPS माइक्रोटेक, 01 अदद Etmax Sound box, 01 अदद वायरलेस की-बोर्ड व माउस, 01 अदद अवैध तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 के साथ 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक दीन दयाल पाण्डेय मय हमराह द्वारा अंधऊ बिलैचिया मोड़ तिराहा के पास से मुखबिरी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1. विशाल बिन्द उर्फ प्रभास राम पुत्र राम लखन बिन्द 2. छोटू कुमार पुत्र फुलचन्द राम 3. राम लखन बिन्द पुत्र स्व0 रामजनम बिन्द को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 672/2025 धारा 305(a), 331(4) BNS से सम्बन्धित चोरी की 02 अदद सैमसंग इन्ट्रैक्टिव पैकेट पैनल, 02 अदद UPS माइक्रोटेक, 01 अदद Etmax Sound box व 01 अदद वायरलेस की-बोर्ड व माउस बरामद किया गया तथा अभियुक्त छोटू कुमार के पास से 01 तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 677/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता-

1. विशाल बिन्द उर्फ प्रभास राम पुत्र राम लखन बिन्द निवासी बिन्दपुरवा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष
2. छोटू कुमार पुत्र फुलचन्द राम निवासी मोहाव थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 21 वर्ष
3. राम लखन बिन्द पुत्र स्व0 रामजनम बिन्द निवासी बिन्द का पुरवा, महाराजगंज थाना कोतवाली, गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष

विवरण पूछताछ - पूछताछ से अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहब इस पिकप वाहन UP61AT5981 के डाला में जो समान लदा है, इसे हम लोगो ने इस गाडी के मालिक पिन्टू उर्फ अखिलेश बिन्द S/O सुरेन्द्र नाथ बिन्द R/O बिन्दपुरवा महाराजगंज, थाना कोतवाली, गाजीपुर के साथ मिलकर ग्राम मोहाव के कम्पोजिट विद्यालय से दिनांक 28/08/25 की रात में चोरी किया था। जिसे आज हम लोग मऊ में बेचने के लिए ले जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

बरामदगी -

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस (अभि0 छोटू कुमार के पास से)
2. एक अदद पिकप नं0 UP61AT5981
3. दो अदद सैमसंग इन्ट्रैक्टिव पैकेट पैनल,
4. दो अदद UPS माइक्रोटेक का,
5. एक अदद Etmax Sound box,
6. एक अदद वायरलेस कीबोर्ड व माउस

आपराधिक इतिहास - विशाल बिन्द उर्फ प्रभास राम उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 672/2025 धारा 305(a), 331(4) 317(2) BNS थाना कोतवाली, गाजीपुर ।
2. मु0अ0सं0 503/22 धारा 147, 307, 323, 332, 336, 352, 353, 394, 411, 427, 504, 506 भादवि व 7 सीएलए थाना कोतवाली गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 119/22 धारा 395, 412 भादवि थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास - छोटू कुमार उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 672/2025 धारा 305(a), 331(4) 317(2) BNS थाना कोतवाली, गाजीपुर ।
2. मु0अ0सं0 677/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली, गाजीपुर ।
3. मु0अ0सं0 175/24 धारा 34, 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर

आपराधिक इतिहास - राम लखन बिन्द उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 672/2025 धारा 305(a), 331(4) 317(2) BNS थाना कोतवाली, गाजीपुर ।
2. मु0अ0सं0 503/22 धारा 147, 307, 323, 332, 336, 352, 353, 394, 411, 427, 504, 506 भादवि व 7 सीएलए थाना कोतवाली गाजीपुर

12. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत गाजीपुर पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर बलात्कार/पॉक्सो एक्ट के 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/-रु0 अर्थदण्ड व 02 अन्य अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कारावास व 15000-15000/-रु0 अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।”

दिनांक 04.09.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना करण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 174/20 धारा 376DA, 506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण के कुल 03 अभियुक्तगण 1. अभिमन्यु पुत्र राधेश्याम निवासी बाजेपाह थाना करण्डा 2. अन्नू पुत्र राधेश्याम निवासी बाजेपाह थाना करण्डा 3. विशाल पुत्र राधेश्याम निवासी लीलापुर थाना करण्डा को मुकदमा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त अभिमन्यु उपरोक्त को धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व 20,000/-रु0 अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कारावास तथा अभियुक्त अन्नू व विशाल उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रत्येक को 20-20 वर्ष का कारावास व 15000-1500/-रु0 अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 2-2 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

13. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत गाजीपुर पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर धारा 307/34 भादवि के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रु0 अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।”

दिनांक 04.09.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सुहवल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1203/2010 धारा 307/34 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण के अभियुक्त अभियुक्त 1. छोटू उर्फ आनंद राय पुत्र स्व वीर नायक राय निवासी रेवतीपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर को मुकदमा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 307/34 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रु0 अर्थदण्ड सजा से दण्डित किया गया ।

14. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा चोरी के सामान के साथ 04 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार व

01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

कब्जे से चोरी किये गए एलईडी टीवी, मॉनिटर, यीपएस, बैटरी, स्पीकर, वेब कैमरा, प्रिंटर सहित अन्य सामान बरामद।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 04.09.2025 को उ०नि० श्री सन्तोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा सिरगिथा बाजार में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनो की चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक - 24/25.08.2025 की रात में कम्पोजिट विद्यालय बुढ़नपुर से चोरी की घटना से सम्बंधित 04 नफर अभियुक्तगण व 01 नफर बाल अपचारी को मय चुराये गये सामान के साथ चिलार नहर पुल के पास स्थित खण्डहर से गिरफ्तार/अभिरक्षा में लिया गया ।

विवरण पूछताछ – उक्त अभियुक्तगण/बालअपचारी से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि चोरी चकारी करके वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं । अभियुक्त गण के कब्जे से बरामद चोरी के सामान के सम्बन्ध में कम्पोजिट विद्यालय बुढ़नपुर के प्रधानाचार्य श्री चन्द्रभान पुत्र उमाशंकर सिंह निवास ग्राम जखनियाँ थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर द्वारा लिखित तहरीर दिनांक- 26.08.2025 को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 244/2025 धारा 305(e), 331(4) बी०एन०एस० में अभियोग पंजीकृत करवाया गया है । जिसमें गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गण का नाम प्रकाश में लाते हुए धारा 317(2) बी०एन०एस० की बढोत्तरी कर अभियुक्त गण एवं बाल अपचारी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा/अभिरक्षा में लिए गये अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.पिन्टू बिन्द उर्फ अखिलेश कुमार बिन्द पुत्र स्व० सुरेन्द्र नाथ बिन्द निवासी ग्राम बिन्दपूरवा महाराजगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 27 वर्ष

2.गुलाब बिन्द पुत्र सत्य नरायण बिन्द निवासी ग्राम बिन्द पूरवा महाराजगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष

3.श्रवण बिन्द पुत्र चिल्ही बिन्द निवासी ग्राम बिन्द पूरवा महाराजगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 18 वर्ष

4.विरेंद्र कुमार बिन्द उर्फ पोमा पुत्र स्व० सुदामा बिन्द निवासी ग्राम बिन्द पूरवा महाराजगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष

5. 01 नफर बाल अपचारी

अभियुक्त गण के कब्जे से बरामदगी :-

एक अदद एल०ई०डी० टीवी, दो अदद मॉनिटर, दो अदद, दो अदद 160 AH की बैटरी, दो अदद एडोप्टर, दो अदद स्पीकर, दो अदद माइक्रोफोन, दो अदद माउस, एक अदद सी०पी०यू०, एक अदद वेब कैमरा, एक अदद प्रिन्टर, एक अदद स्टेपलाइजर, दो अदद पावर केबल, दो अदद एच०डी०एम०आई० केबल, एक अदद प्रिन्टर केबल, 01 अदद की-बोर्ड व घटना में प्रयुक्त 01 अदद हेक्सा ब्लेड तथा 01 अदद पिलास बरामद ।

15. थाना भावरकोल पुलिस टीम द्वारा 06 नफर वारंटियों को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 04.09.2025 को संतोष कुमार राय थानाध्यक्ष भावरकोल के नेतृत्व में 1-मु०न० 146/13 धारा 323/504/506 भादवि में (1) गुड्डु पुत्र ईश्वर

चन्द निवासी वीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर (2) मु0न0 146/13 धारा 323/504/506 भादवि में मंजय राम पुत्र इश्वर चंद निवासी बीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर। (3)-मु०न० 146/13 धारा 323/504/506 भादवि में संजय पुत्र ईश्वर चन्द निवासी बीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर (4) 628/03 धारा 147/323/324/148/452 भादवि में शिवशंकर पुत्र मंगलेश्वर निवासी गोडी थाना भावरकोल गाजीपुर (5) 628/03 धारा 147/323/324/148/452 भादवि में तुफानी पुत्र झिरु यादव निवासी वाठा थाना भावरकोल गाजीपुर (6) फौज0 500/07 धारा 452/325/323/427 भादवि में अमर चौधरी पुत्र गौरी शंकर चौधरी निवासी कबीरपुर कला थाना भावरकोल गाजीपुर। उक्त वारंटियों को गिरफ्तार कर मा०न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तारशुदा वारंटियों का विवरण -

- 1 गुड्डु पुत्र ईश्वर चन्द निवासी वीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर
- 2-मंजय राम पुत्र इश्वर चंद निवासी बीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर।
- 3-संजय पुत्र ईश्वर चन्द निवासी बीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर
- 4 - शिवशंकर पुत्र मंगलेश्वर निवासी गोडी थाना भावरकोल गाजीपुर 5-तुफानी पुत्र झिरु यादव निवासी वाठा थाना भावरकोल गाजीपुर 6-अमर चौधरी पुत्र गौरी शंकर चौधरी निवासी कबीरपुर कला थाना भावरकोल गाजीपुर।

16. थाना जमानिया पुलिस द्वारा 04 नफर वारंटियों को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत आज दिनांक 04.09.2025 को उ0नि0विवेक कुमार पाठक, उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह द्वारा वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान के तहत किया गया विभिन्न मुकदमों/अभियोगों से संबंधित 04 नफर वारंटियों को अलग अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा वारंटियों का विवरण -

- 1.मुख्तार खान पुत्र आमिर खान उम्र करीब 70 वर्ष निवासी बरुईन थाना जमानिया जनपद गाजीपुर
- 2.नवनीत कुमार पुत्र दूधनाथ निवासी बघरी थाना जमानिया उम्र करीब 44 वर्ष
- 3.हरिओम राय पुत्र बबलू राय उर्फ पंकज राय उम्र करीब 21 वर्ष
- 4.ओमकार राय पुत्र बबलू उर्फ पंकज राय उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण फ़हीपुर थाना जमानिया जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर